

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 289]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 2014—आषाढ़ 20, शक 1936

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2014

क्र. एफ-8-2-रा.स.-यू.ए.-3-2014-731.—यतः; कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ-8-1-2014-रा.स.-यू.ए.-3-177, दिनांक 17 फरवरी 2014 के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन करने के लिए आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया है। उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों के द्वारा निर्मांकित विषयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अनुशंसित कर माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गये हैं:—

1. एशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, एण्ड आर्कियोलॉजी
2. बॉटनी
3. केमिस्ट्री
4. कॉमर्स
5. इकोनॉमिक्स
6. इंग्लिश
7. फॉडन्डेशन कोर्स
8. जियोग्राफी
9. जियोलॉजी
10. हिन्दी
11. हिस्ट्री
12. होम साइंस (बी.ए.)
होम साइंस (बी.एस.सी., बी.एच.एस.सी.)
13. मैथेमेटिक्स

14. फिलॉसफी
15. फीजिक्स
16. पॉलीटिकल साइंस
17. साइकोलॉजी
18. संस्कृत
19. सोशियोलॉजी
20. स्टेटिस्टिक्स
21. उर्दू
22. जूलॉजी

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय 1973 की धारा 34 की उपधारा (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है।

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.